भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2870
दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

निर्भया कोष का उपयोग

2870. **श्री कणाद पुरकायस्थ:**
डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंह:
श्रीमती साधना सिंह:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री मदन राठौड़:
श्री संत बलबीर सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निर्भया कोष से संस्वीकृत और प्रयुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इस कोष के माध्यम से सुदृढ़ या कार्यात्मक किए गए वन स्टॉप सेंटरों और महिला हेल्पलाइनों की संख्या कितनी है;

(ग) उन राज्यों की संख्या कितनी है जहाँ, इस कोष के तहत अतिरिक्त सुरक्षा अवसंरचना परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है; और

(घ) महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा योजनाओं के लिए कोष के उपयोग में तेज़ी लाने के लिए कौन-कौन से अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निर्भया कोष से राज्यवार स्वीकृत और उपयोग की गई निधि **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), व्यापक मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल वर्टिकल का एक घटक है। यह निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहायता और सहयोग प्रदान करता है। यह ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी

सहायता तथा सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता एवं मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएँ प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देशभर में कुल 137 **ओएससी** को क्रियाशील बनाया गया। महिला हेल्पलाइन (181) महिलाओं को आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे निःशुल्क दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करती है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है और सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। महिला हेल्पलाइन (181) महिलाओं को आपातकालीन तथा गैर-आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे निःशुल्क दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना कार्यान्वित थी। पश्चिम बंगाल ने वित्तीय वर्ष 2026–27 से इस योजना को कार्यान्वित करना शुरू किया।

(ग) और (घ): निर्भया कोष की स्थापना के बाद से, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रायोजित/ उनसे प्राप्त 49 परियोजनाओं/योजनाओं का अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा निर्भया कोष के फ्रेमवर्क के तहत मूल्यांकन किया गया है। निर्भया कोष के तहत परियोजनाएं/योजनाएं मांग आधारित हैं। इन परियोजनाओं/योजनाओं का कार्यान्वयन कार्यक्रम चरणबद्ध है। इनकी संकल्पना, आयोजना तैयार की जाती है और अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के समक्ष मूल्यांकन एवं अनुशंषा के लिए प्रस्तुत की जाती है। तत्पश्चात, प्रायोजक मंत्रालय का संबंधित सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) अनुमोदन प्रदान करता है, जिसके पश्चात वित्त मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष से प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के बजट में निधियों का आवंटन किया जाता है। जिन परियोजनाओं/योजनाओं के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, उनके लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार,कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर प्रयोजक मंत्रालय द्वारी निधियां जारी की जाती हैं। अंतर-मंत्रालयी अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/ विभागों/ राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर नियमित अंतराल पर कार्यान्वयन की स्थिति और अनुमोदित परियोजनाओं पर किए गए व्यय की समय-समय पर समीक्षा करती है। संबंधित प्रायोजक मंत्रालय/ विभाग/ राज्य सरकारें/ संघ राज्य क्षेत्र भी अपने-अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करते हैं।

अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निर्भया कोष से राज्यवार जारी/ उपयोग की गई निधि का विवरण

राशि करोड़ रु. में

क्रम सं	**राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी/ उपयोग की गई निधि**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.58
2	आंध्र प्रदेश	12.73
3	अरुणाचल प्रदेश	6.26
4	असम	20.58
5	बिहार	29.69
6	चंडीगढ़	0.44
7	छत्तीसगढ़	16.22
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	0.00
9	दिल्ली	19.75
10	गोवा	3.30
11	गुजरात	13.85
12	हरियाणा	11.96
13	हिमाचल प्रदेश	9.48
14	जम्मू और कश्मीर	8.45
15	झारखंड	4.53
16	कर्नाटक	71.92
17	केरल	35.96
18	लद्दाख	0.38
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	33.04
21	महाराष्ट्र	13.72
22	मणिपुर	3.39
23	मेघालय	6.65
24	मिजोरम	8.68
25	नागालैंड	16.28
26	ओडिशा	36.76
27	पुद्दुचेरी	1.12
28	पंजाब	9.39
29	राजस्थान	31.75
30	सिक्किम	1.76
31	तमिलनाडु	61.78
32	तेलंगाना	11.07
33	त्रिपुरा	1.71
34	उत्तर प्रदेश	31.73
35	उत्तराखंड	6.98
36	पश्चिम बंगाल	6.17
